



प्रेस विज्ञप्ति

27.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने रम्मीकल्चर ऐप एवं अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ₹442.35 करोड़ (लगभग) मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। दिनांक 25/09/2026 के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) संख्या 40/2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत जारी किया गया है।

अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में सावधि जमा में शेषराशि, वाणिज्यिक दुकानें, एक विला तथा मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों के परिवार के सदस्यों, निजी पारिवारिक न्यासों तथा विभिन्न संबद्ध संस्थाओं के नाम पर धारित अनेक आवासीय अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की है, जो तेलंगाना राज्य में एलईए द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत धोखाधड़ी के अपराधों के संबंध में दर्ज की गई अनेक प्राथमिकी पर आधारित है, जो पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं।

इससे पूर्व, ईडी ने दिनांक 07/05/2026 से 14/05/2026 के दौरान तथा दिनांक 20/06/2026 से 21/06/2026 के दौरान मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय परिसरों तथा इसके निदेशकों एवं प्रमुख कर्मचारियों के आवासीय परिसरों में पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाया था। इन तलाशी अभियानों के परिणामस्वरूप कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जब्त किए गए, जो जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुए हैं।

अब तक की गई जांच से पता चला है कि मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स रम्मीटाइम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से रम्मीकल्चर, रम्मीप्राइम, प्लेशिप एवं रम्मीटाइम सहित विभिन्न ब्रांडों के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेम्स (आरएमजी), विशेष रूप से ऑनलाइन रम्मी गेम्स एवं टूर्नामेंट संचालित करने में संलिप्त थीं। इन प्लेटफॉर्म पर देशभर में लगभग 3 करोड़ उपयोगकर्ता थे। जांच में आगे पता चला कि बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता उन राज्यों में स्थित थे, जहां ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु शामिल हैं। इन कंपनियों ने उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा की गई स्टेकिंग/सट्टेबाजी की राशि पर 10% से 15% तक प्लेटफॉर्म कमीशन वसूल कर पर्याप्त राजस्व अर्जित किया है।

आगे, जांच से पता चला है कि उपयोगकर्ताओं को यह आश्वासन देते हुए कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पारदर्शी, निष्पक्ष तथा स्वचालित खिलाड़ियों (बॉट्स) से मुक्त हैं, इन कंपनियों ने भोले-भाले उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध उनकी जानकारी या सहमति के बिना बॉट्स (स्वचालित प्रोग्राम/एल्गोरिदम) तैनात किए। बॉट्स के उपयोग के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त वित्तीय नुकसान हुआ, जबकि कंपनियों के लिए अपराध से अर्जित आय उत्पन्न हुई।

जांच से यह भी पता चला है कि कंपनियों ने उपयोगकर्ताओं को जोड़ने और बनाए रखने के लिए भ्रामक एवं लत लगाने वाली रणनीतियां अपनाईं। कंपनियों ने नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए विपणन एवं प्रचार अभियानों पर लगभग ₹1,035 करोड़ खर्च किए। नए उपयोगकर्ताओं को लगातार गेम खेलने और अधिक राशि जमा करने के लिए बोनस, रेफरल प्रोत्साहन, निःशुल्क टूर्नामेंट प्रविष्टियों एवं प्रचारात्मक पुरस्कारों के माध्यम से आकर्षित किया गया। कंपनियों ने कथित रूप से प्रतिबंधात्मक निकासी तंत्र भी लागू किए, जिनमें कुछ मामलों में 5% से 10% तक निकासी शुल्क शामिल था, तथा 'सुपर बूस्टर' ऑफरों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को निकासी योग्य शेषराशि को गैर-निकासी योग्य 'गेम कैश' में परिवर्तित करने के लिए भी प्रेरित किया। निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं, जिनमें वे उपयोगकर्ता भी शामिल थे जिन्होंने भारी वित्तीय नुकसान

उठाने के बाद खेलना बंद कर दिया था, को तत्काल नकद क्रेडिट, प्रचारात्मक ऑफर, पुश नोटिफिकेशन, एसएमएस अभियानों एवं टेलीमार्केटिंग कॉल के माध्यम से लक्षित किया गया, ताकि उन्हें पुनः गेम खेलने के लिए प्रेरित किया जा सके। कंपनियों की इन अनैतिक गतिविधियों ने एक ऐसा लत लगाने वाला गेमिंग वातावरण तैयार किया, जिसने बार-बार सट्टेबाजी को प्रोत्साहित किया और इस प्रकार कंपनियों को प्लेटफॉर्म कमीशन के रूप में भारी मात्रा में अपराध से अर्जित आय उत्पन्न करने में सक्षम बनाया।

आगे, जांच से पता चला है कि उपर्युक्त गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अपराध से अर्जित आय को तत्पश्चात शेयरधारकों को लाभांश के भुगतान एवं शेयरों की बाय-बैक के माध्यम से लेयरिंग एवं एकीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, इन आय को म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, परिवर्तनीय नोट्स, इक्विटी शेयरों, चल संपत्तियों तथा उच्च-मूल्य वाली अचल संपत्तियों में निवेश के रूप में छिपाया गया, जिनमें पारिवारिक न्यासों एवं संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से धारित संपत्तियां भी शामिल थीं, और इस प्रकार उन्हें निष्कलंक संपत्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया।

इससे पूर्व, तलाशी के दौरान, पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1ए) के प्रावधानों के तहत ₹495 करोड़ (लगभग) मूल्य की चल संपत्तियों को फ्रीज किया गया था, साथ ही ₹11 लाख की नकदी तथा सोने/हीरे के आभूषण, जिनमें 2.30 किलोग्राम (लगभग) वजन का बुलियन भी शामिल था, जब्त किया गया था और ₹1,906 करोड़ (लगभग) मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करते हुए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था।

तदनुसार, अब तक जांच के दौरान कुर्क, फ्रीज एवं जब्त की गई अपराध से अर्जित आय का कुल मूल्य ₹2,843 करोड़ (लगभग) है।

आगे की जांच जारी है।